1

Dr. S. S. Pandey

भारत-पाकिस्तान सीमा सुरक्षा प्रबंधन

2

A. सीमा सुरक्षा प्रबंधन : भौतिक प्रबंधन

3

1. BSF & Army की तैनाती तथा आधुनिकतम हथियारों की तैनाती

4

2. Smart Fencing / बाड़बंदी-2078 km;
- सीमा सुरक्षा चौकी (BOP) - 736 (ताकि बीच की दूरी 3.5 km हो सके);
- तेज रोशनी लाइट (2078 km)
- निगरानी हेतु आधुनिक उपकरणों का प्रयोग

3. आकाश, बराक-8, पृथ्वी, अग्नि, शौर्य, नाग, हेलिना आदि मिसाइलों की तैनाती

5

6

4. पंजाब से लगी भारत-पाकिस्तान सीमा पर Laser Beam Detection System एवं Predator Drone की तैनाती

7

8

5. 'प्रोजेक्ट कुश' के तहत, इजरायल के 'आयरन डोम सिस्टम' की तर्ज पर भारत में 'एयर डिफेंस सिस्टम' का विकास और 'S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम' की तैनाती

9

6. ड्रोन खतरे से निपटने हेतु विशेष प्रयास

1. ड्रोन खतरे से निपटने की क्षमताओं का विकास; जैसे– सुरक्षा बलों द्वारा गश्त, राडार, जैमर, ड्रोनरोधी हथियारों की तैनाती
2. ड्रोन फोरेंसिक का प्रयोग तथा दिल्ली में एक आधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना
3. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर कमांड-एण्ड-कंट्रोल सिस्टम के साथ कैमरे, सेंसर और अलार्म से लैस एकीकृत निगरानी तकनीक की स्थापना
4. 'एंटी-रॉग ड्रोन प्रौद्योगिकी समिति' की स्थापना
5. जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण
6. 'एंटी-ड्रोन सिस्टम' की खरीद एवं सीमा पर तैनाती
7. इस संदर्भ में DRDO के साथ सहयोग और पृथक ड्रोन नीति के निर्माण का प्रयास
8. खुफिया नेटवर्क एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय

7. सीमावर्ती सड़कों का निर्माण

10

11

8. सीमा पर तस्करी एवं घुसपैठ के विरूद्ध अभियान एवं 'सर्जिकल स्ट्राईक' (29 Sept. 2016 & 26 Feb. 2019)

भारत पाकिस्तान सीमा प्रबंधन : सर्जिकल स्ट्राइक 1.0

12

भारत पाकिस्तान सीमा प्रबंधन : सर्जिकल स्ट्राइक 2.0

13

भारत पाकिस्तान सीमा प्रबंधन : सर्जिकल स्ट्राइक 2.0

14

9. Border Area Development Programme

15

16

10. सीमावर्ती क्षेत्र में सैन्य अभ्यास

- शत्रुजीत - April 2016;
- भारत-अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास - Feb. 2021
- ऑपरेशन 'अलर्ट' - 21 Jan. - 28 Jan. 2023
- वायु सेना अभ्यास 'त्रिशूल' - Sept. 2023
- भारत-फ्रांस नौसेना अभ्यास 'वरुण' - Sept. 2023
- ऑपरेशन 'सर्द हवा' - Jan. 2024

11. समद्री सीमा का प्रबंधन

17

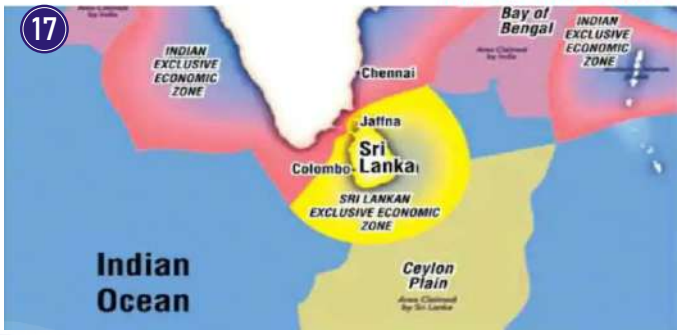

12. विमुद्रीकरण - 2016

18

13. 5 अगस्त 2019 – जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जम्मू और काश्मीर में 370 हटाया गया –

फलतः जम्मू-कश्मीर भारत सरकार के नियंत्रण में – जम्मू-कश्मीर में एक तरफ विकास की प्रक्रिया तीव्र तो दूसरी तरफ 'ऑपरेशन ऑल आउट' के तहत आतंकियों का सफाया

19

20

B. सीमा सुरक्षा प्रबंधन

कूटनीतिक प्रयास

21

(a) पाकिस्तान के साथ बातचीत एवं समझौता

26

5. 2016 तक - सीमा विवाद को सुलझाने हेतु निरन्तर वार्ता एवं प्रयास

22

1. 1966 - ताशकंद समझौता

6. 24 Oct. 2019 - करतारपुर कॉरिडोर समझौता

27

23

2. 1972 - शिमला समझौता

28

(b) अन्य कूटनीतिक प्रयास

3. 1999 - लाहौर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर

24

29

1. New Map of India & Geospatial Information Regulation bill - 2016 (निरस्त)

25

4. 2004 - इस्लामाबाद घोषणापत्र पर हस्ताक्षर

30

2. 15 अगस्त-2016 - भारत की बलूचिस्तान-गिलगिट-POK रणनीति

31

3. 14 सितम्बर- 2016 पहली बार भारत द्वारा बलूचिस्तान- गिलगिट- POK में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया गया

4. विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर (UN, G-20, BRICS etc) भारत द्वारा पाकिस्तान को आतंकवादियों को समर्थन देने वाले देश के रूप में मान्यता दिलवाने का प्रयास

32

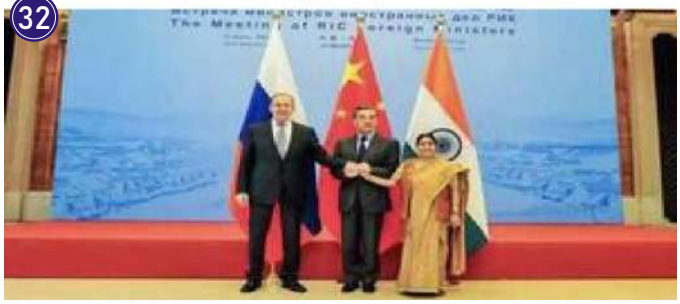

5. अमेरिका के साथ विभिन्न समझौते (LEMOA-2016; COMCASA-2018; BECA-2020;) के द्वारा निकटता में वृद्धि

33

34

6. 25 नवम्बर 2016 - भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौता समाप्त करने पर विचार करने की घोषणा (रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं)

7. 24 फरवरी 2024 - रावी नदी पर शाहपूर कंडी बैराज बंद और रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोका गया

35

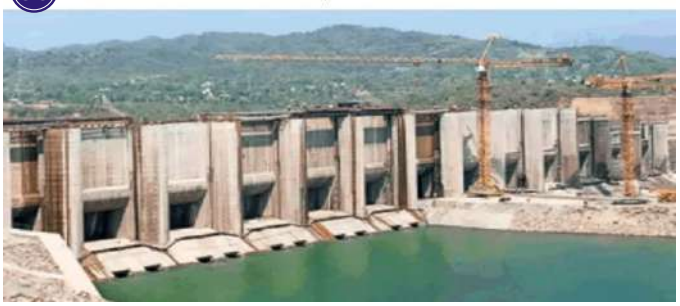

36

Dr. S. S. Pandey

सिंधु जल विवाद

37

1. सिंधु नदी का इलाका 11.2 लाख किमी. क्षेत्र में विस्तृत- जिसका 47% पाकिस्तान में, 39% भारत में, 8% चीन में, 6% अफगानिस्तान में है और 30 करोड़; लोग इस क्षेत्र के आस-पास रहते हैं। पाक की 2.6 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई इस पर निर्भर है

38

2. सिंधु जल संधि, नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर, 1960 में हुई एक संधि है। जिसके द्वारा दोनों देशों को पानी के उपयोग का प्रावधान किया गया है

39

सिंधु जल समझौता 1960 के प्रमुख बिन्दु

40

1. सिंधु नदी/बेसिन की सहायक नदियों को - पूर्वी नदियों [सतलज, व्यास, रावी] तथा पश्चिमी नदियों [झेलम, चेनाब, सिंधु] में विभाजित किया गया

41

2. पूर्वी नदियों का 100% पानी भारत के लिए तथा पश्चिमी नदियों का 80% पानी पाकिस्तान के लिये होगा

42

3. पश्चिमी नदियों के पानी को भारत भी सीमित इस्तेमाल कर सकता है [लगभग 20%]/36 लाख एकड़ फीट पानी जमा करने का अधिकार
4. भारत पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजना बना सकता है परंतु पानी रोक नहीं सकता
5. 'सिंधु आयोग' का प्रावधान

43

- Sept. 2016 में - भारत द्वारा सिंधु जल समझौता के तहत अपने हिस्से की पानी का पूरा इस्तेमाल करने का निर्णय तथा चेनाब एवं झेलम नदी पर 2 जल विद्युत परियोजना निर्माण का निर्णय-
  (i) रातले (850 मेगावाट) तथा
  (ii) किशनगंगा (330 मेगावाट परियोजना) - पाकिस्तान द्वारा विरोध
  (iii) पुनः भारत द्वारा शाहपुर कंडी परियोजना का निर्माण Sept. 2018 से तथा उक्त परियोजना (July, 2017 को मंजूरी) प्रारंभ

44

- 25 Dec. 2016 - पाकिस्तान द्वारा इस मामले में 'विश्व बैंक' को हस्तक्षेप करने की अपील
- 1 August 2017 - विश्व बैंक द्वारा 'फैक्टरशीट' जारी और कहा गया कि-
  संधि के अनुसार भारत इन नदियों का पानी किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकता है और पनबिजली परियोजना बना सकता है

45

- 29 Dec 2017 - रावी की सहायक नदी पर उक्त बहुद्देशीय परियोजना निर्माण का निर्णय तथा 7 May 2018 को पंजाब एवं हरियाणा सरकार द्वारा रावी एवं व्यास नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने का निर्णय
- 19 August 2018 - इमरान खान द्वारा सिंधु जल विवाद पर पुनः वर्ल्ड बैंक जाने का निर्णय

46

- 14 Feb 2019 को पुलवामा हमले के बाद (9 May 2019 को) नीतिन गडकरी द्वारा बयान कि - सिंधु जल संधि के तहत भारत अपने हिस्से का पानी पाक को नहीं देगा [Water Surgical Strike] = पाक का बयान कि हम इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जायेंगे
- 27 January 2023 - भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि में संशोधन हेतु पाकिस्तान को नोटिस जारी

47

- 24 फरवरी 2024 - रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज बंद और रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोका गया

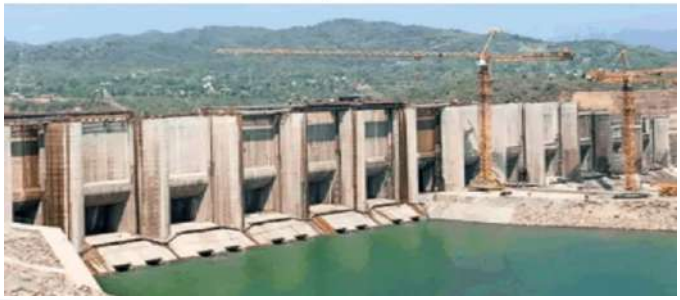

48

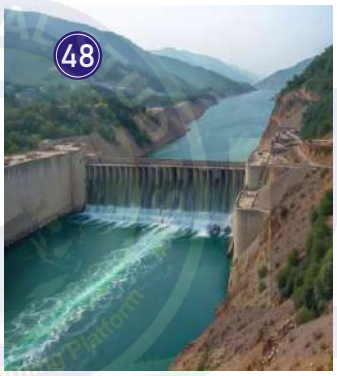

49

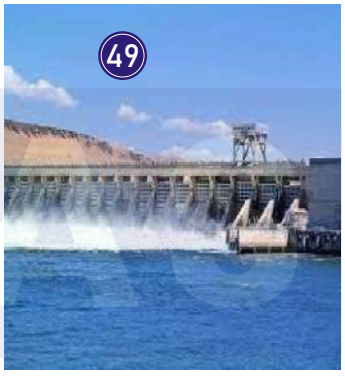

50

सिंधु जल समझौता - समीक्षा

51

जल समझौता तोड़ने का लाभ
1. पाकिस्तान पर दबाव
2. J & K की जल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति

जल समझौता तोड़ने का नुकसान
1. पाक की जनता को प्रत्यक्ष नुकसान से अतिवाद तथा भारत के विरूद्ध जन-भावना के विकास का बढ़ना फलतः भारत को नुकसान
2. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में कमी
3. बाढ़ की आशंका